(ख) यह कुल कितना रुपया है ; और

(ग) भारत के बैंकों में छोड़े गए रुपए के भुगतान कितने पाक-नागरिकों को किए जा चुके हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिम पंजाब और बहावलपुर से आए हुए व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के १०२६ खाते ३० नवम्बर, १९६१ को पाकिस्तान से भारत भेजे गये थे और जिन बैंकों से इन खातों का सम्बन्ध है उनसे अदायगियां करने के लिए कह दिया गया है ।

(ख) ५.१७ लाख रुपया ।

(ग) भारत छोड़ कर गए हुए व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के १८३३ खाते ३० नवम्बर, १९६१ को पंजाब (भारत) से (जिसमें वे इलाके भी आते हैं जो पहले पेप्सू में शामिल थे) पाकिस्तान भेजे गये थे । इन खातों में ११.६६ लाख रुपया था ।

एस० एम० अब्दुल्ला बिल्डिंग, दिल्ली

१९६२. **श्री कछवाय** : क्या **निर्माण आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रोशनारा रोड, दिल्ली पर स्थित एस० एम० अब्दुल्ला बिल्डिंग कस्टोडियन द्वारा किन्हीं शरणार्थियों को बेच दी गई है ;

(ख) क्या उक्त इमारत का मूल्य ८ लाख रुपये से अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस इमारत को नीलाम द्वारा न बेचने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां, बारह शरणार्थियों को ।

(ख) नहीं, सक्षम अधिकारी द्वारा नियत की गई कीमत ६०,००० रुपये है ।

(ग) यह जायदाद उस में रह रहे विस्थापित अलाटियों को सम्बन्धित पक्षों में हुए एक समझौते के अनुसार हस्तांतरित की गई थी ।

Homoeopathic Dispensaries

1963. **Shri Rananjai Singh:** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) the latest position regarding the proposal to set up Homoeopathic dispensaries for the benefit of Central Government employees stationed in Delhi|New Delhi under the Central Government Health Scheme;

(b) the steps being taken to appoint experienced Homoeopathic practitioners to the various posts that may be created under this scheme; and

(c) the details of qualifications which have been or are being laid down?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). There is no such proposal under consideration.

गैर-सरकारी संस्थाओं को बंगलें देना

१९६४. **श्री कछवाय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी मकान गैर-सरकारी संस्थाओं व अन्य व्यक्तियों को नहीं दिये जाते ; और

(ख) यदि हां, तो जंतर मंतर रोड का बंगला नम्बर ९ विश्वायतन योगाश्रम को क्यों दे रखा है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं । सरकारी बंगले कभी कभी गैर-सरकारी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों को प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर दिये जाते हैं ।